उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्याः क0नि0–5–4513/11–2007–500(22)–2003

लखनऊ दिनांक 17 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सात सौ पचास करोड रूपये अथवा उससे अधिक की पूंजी निवेश करने वाली वृहद परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी परियोजनाओं के हित में भूमि के अंतरण के लिए निष्पादित अंतरण की लिखतों पर 13 फरवरी, 2003 से प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

परन्तु यह कि–

(क) सम्बन्धित लिखतों पर स्टाम्प शुल्क में उपर्युक्त छूट, ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध होगी जिन्हें यथास्थिति मन्त्रि–परिषद अथवा मन्त्रि–परिषद की आर्थिक मामलों की उप समिति ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में इस प्रयोजन के लिए गठित प्राधिकृत समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया हो। प्राधिकृत समिति स्टाम्प शुल्क में कमी या उससे छूट की संस्तुति करने से पूर्व इस मापदण्ड के आधार पर परियोजना का परीक्षण करेगी कि–

(एक) परियोजना में सात सौ पचास करोड़ रूपये अथवा इससे अधिक का निवेश किया जा रहा है,

(दो) परियोजना लोकहित में है,

(तीन) लोकहित में परियोजना को वित्तीय रूप से जीवान्त बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई सुविधा, जिससे शुल्क में छूट भी सम्मिलित है दिया जाना आवश्यक है।

(ख) सम्बन्धित विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से नाम–निर्दिष्ट उसका प्रतिनिधि यह प्रमाणित करेगा कि लिखत से सम्बन्धित परियोजना में पूंजी निवेश सात सौ पचास करोड़ रूपये अथवा इससे अधिक का है तथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् सक्षम स्तर से समुचित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। लिखत के रजिस्ट्रीकरण के समय उक्त आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) उक्त मापदण्ड तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा, किन्तु किसी परियोजना की, जिसमें मन्त्रि–परिषद या प्राधिकृत समिति की संस्तुति के आधार पर मन्त्रि–परिषद की आर्थिक मामलों की उप समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात प्रदान की गयी हो, इस अधिसूचना के पूर्व छूट या कमी पहले ही समीक्षा किये जाने की आवश्यता नहीं है।

(घ) ऐसी किसी लिखत पर संदत्त स्टाम्प शुल्क को वापस नहीं किया जायेगा।

(ड.) उद्यमी या परियोजना का विकासकर्ता के निमित्त तृतीय पक्ष को इस प्रकार प्राप्त की गयी भूमि का अंतरण किये जाने हेतु निष्पादित की जा रही लिखतों पर स्टाम्प शुल्क में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
के0 चन्द्रमौलि,
प्रमुख सचिव।

———————————————

THE Governor is pleased or order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.5-4513(1)/11-2007-500(22)-2003 dated, November 17, 2007 for general information.

No. K.N.5-4513(1)/11-2007-500(22)-2003
Lucknow, Dated November 17, 2007
Notification

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 02 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, the Governor with a view to promoting large projects, having capital investment of Rupee 750 crores or more, is pleased to remit with effect from February 13, 2003, the stamp duty chargeable on the instruments of transfer under the said Act, executed for transfer of land in the interest of such project;

Provided that,-

(a) the above said remission in stamp duty on the concerned instruments shall be available in relation to the projects to which Cabinet or the sub-committee of the Cabinet on Economic Affairs, as the case may be has given approval on the recommendation of an authorized Committee constituted for the purpose under the Chairmanship of the Chief Secretary of the State Government. The authorized Committee, before recommending reduction in, or remission from duty, shall examine the project on the criterion that-

(I) Investment of Rs. 750 crore or more is being made in the project.

(II) The Project is in the public interest.

(III) Any facility including remission of duty is necessary to be given by the State Government in the public interest, to make the project financially viable.

(b) The Principal Secretary/Secretary of the concerned department or his representative, specially nominated for this purpose, shall certify that the capital investment in the project to which the instrument relates in of Rupees 750 crores or more and due approval has been obtained from the competent level after following the laid down procedure. A certificate to this effect will be produced at the time of registration of the instrument.

(c) The said criterion shall come into force with immediate effect. But any project, in which remission or reduction has already been given prior to this notification, after taking the approval of the Cabinet or Sub-committee of the Cabinet on Economic Affairs on the recommendation of the authorized committee, need not be reviewed.

(d) Any stamp duty, which has been paid on any instrument, shall not be refunded.

(e) No remission of stamp duty shall be admissible to the entrepreneur or the developer of the project, on the instruments which are being executed for transfer of the land so obtained to nay third party.

BY order,
Sd/-
K. CHANDRAMOULI,
Pramukh Sachiv.